# न्यूज़ टुडे

## विश्व बैंक के अनुसार भारत में लर्निंग पॉवर्टी (अधिगम निर्धनता) में वृद्धि हुई है

- विश्व बैंक के ग्लोबल डायरेक्टर फॉर एजुकेशन जैमे सावेद्रा के अनुसार, लर्निंग पॉवर्टी 54% से बढ़कर 70% हो गई है।
- लर्निंग पॉवर्टी का अर्थ **10 वर्ष के ऐसे बच्चों के प्रतिशत से है, जो एक सामान्य कहानी को पढ़ और समझ नहीं सकते हैं।**
- **लर्निंग पॉवर्टी के संकेतकों में निम्नलिखित शामिल हैं:**
  - प्राथमिक शिक्षा के अंत में **स्कूली शिक्षा और सीखने की अवधारणा,**
  - **पढ़ने में कुशलता** तथा
  - **सतत विकास लक्ष्य 4** की रिपोर्टिंग प्रक्रिया के क्रम में **स्कूलों में नामांकन।**
- बुनियादी शिक्षा में सुधार के प्रयासों का समर्थन करने के लिए, विश्व बैंक ने एक वैश्विक लक्ष्य भी निर्धारित किया है। यह लक्ष्य है: **लर्निंग पॉवर्टी दर में कटौती करके वर्ष 2030 तक उसे कम से कम आधा करना।**

- **लर्निंग पॉवर्टी में कमी के लिए संभावित उपाय**
  - नए स्कूल की स्थापना के समय स्कूल में **बच्चों के पुनः नामांकन में वृद्धि** का लक्ष्य निर्धारित किया जाना चाहिए।
  - बच्चों की सीखने की क्षमता की स्थिति जानने के लिए उनका **नियमित रूप से आकलन** किया जाना चाहिए।
  - बच्चों को **आधारभूत शिक्षा पढ़ाने को प्राथमिकता** दी जानी चाहिए।
  - **कैच–अप लर्निंग को बढ़ाने के लिए,** शिक्षकों को छात्रों को उनकी आयु और कक्षा स्तर की बजाय उनके सीखने के स्तर के आधार पर उन्हें समूहबद्ध करने हेतु समर्थन दिया जाना चाहिए।
  - **डिजिटल विभाजन को कम करने के लिए** कनेक्टिविटी सॉफ्टवेयर, उपकरणों और शिक्षक पेशेवर विकास में निवेश करने की जरूरत है।

- **लर्निंग पॉवर्टी में कमी के लिए सरकार द्वारा किये गए उपाय**
  - **नई शिक्षा नीति 2020:** कक्षा 3 तक सभी छात्रों द्वारा मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यह लक्ष्य वर्ष 2025 तक प्राप्त किया जाना है।
  - **'समझ के साथ पढ़ने तथा संख्या गणना में निपुणता के लिए राष्ट्रीय पहल' (निपुण/NIPUN भारत) कार्यक्रम:** यह मूलभूत साक्षरता और संख्या कौशल (Foundational Literacy and Numeracy: FLN) पर एक राष्ट्रीय मिशन है।
    - इसका उद्देश्य FLN की सार्वभौमिक प्राप्ति को सुनिश्चित करना है। इससे वर्ष **2026–27 तक प्रत्येक बच्चा कक्षा III के अंत में और कक्षा V तक पढ़ने, लिखने तथा अंकगणित में सीखने की वांछित क्षमता प्राप्त कर सकेगा।**

## चुनाव आयोग ने उच्चतम न्यायालय से कहा है कि वह मुफ्त उपहार (Freebies) की पेशकश करने वाले राजनीतिक दलों का पंजीकरण रद्द नहीं कर सकता

- चुनाव आयोग के अनुसार, **चुनाव से पहले या बाद में किसी भी मुफ्त उपहार की पेशकश या वितरण किसी राजनीतिक दल का एक नीतिगत निर्णय** है। आयोग ने यह भी कहा कि ऐसी नीतियां **आर्थिक रूप से व्यवहार्य हैं या नहीं,** अथवा क्या ये **प्रतिकूल प्रभाव** डालती हैं, यह सब संबंधित **राज्य के मतदाता निर्धारित करते हैं।**
- इससे पहले, **सुब्रमण्यम बालाजी बनाम तमिलनाडु राज्य मामले** में न्यायालय ने भारत के चुनाव आयोग को निर्देश दिया था कि वह मुफ्त उपहारों की जांच के लिए राजनीतिक दलों से परामर्श के बाद दिशा–निर्देश तैयार करे।
  - वर्ष 2016 में, चुनाव आयोग ने चुनावी प्रक्रिया में सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करने के लिए आदर्श आचार संहिता (MCC) के भाग VIII के तहत ऐसे दिशा–निर्देशों को शामिल किया था।
- चुनाव आयोग ने कहा कि उसने **कानून मंत्रालय को भी सिफारिशें की हैं कि उसे राजनीतिक दलों का पंजीकरण रद्द करने की शक्ति का उपयोग करने में सक्षम बनाया जाना चाहिए।**
- चुनाव आयोग ने कहा कि आयोग सत्तारूढ़ दल द्वारा लिए गए निर्णयों एवं नीतियों को विनियमित नहीं कर सकता है। इसलिए, कानून में ऐसा कोई प्रावधान किए बिना इस तरह की कार्रवाई, **शक्तियों के अतिरेक (overreach) प्रयोग** के समान होगी।
- **भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनाम समाज कल्याण संस्थान और अन्य (2002) मामले** में न्यायालय ने निर्णय दिया था कि भारत का चुनाव आयोग केवल निम्नलिखित स्थितियों में ही **राजनीतिक दलों का पंजीकरण रद्द कर सकता है:**
  - यदि राजनीतिक दल **धोखाधड़ी या जालसाजी के द्वारा पंजीकरण** प्राप्त करता है;
  - यदि राजनीतिक दल की **संविधान के प्रति आस्था और निष्ठा समाप्त हो जाती है** तथा
  - ऐसा कोई भी आधार जहां **आयोग की ओर से किसी जांच की मांग नहीं की जाती है।**

- चुनावी मुफ्त उपहार चुनावी वादों के हिस्से के रूप में राजनीतिक दलों द्वारा तर्कहीन मुफ्त उपहारों की पेशकश/वितरण है।
  - यह लोकतंत्र में **स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की मूल भावना के खिलाफ** है। साथ ही, यह निम्नलिखित मुद्दों को जन्म देता है:
    - **घूसखोरी** और मतदाताओं पर **अनुचित प्रभाव;**
    - चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के बीच समान अवसर को बाधित करता है।
    - राजकोष पर भारी बोझ डालता है;
    - इनसे सामाजिक परिणामों में कोई सुधार नहीं आता है आदि।

# एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय शहरों व जिलों को हीट स्ट्रेस से सुभेद्य लोगों की रक्षा के लिए तैयार रहना चाहिए

- 'एक्सपैंडिंग हीट रेसिलिएंस अक्रॉस इंडियाः हीट एक्शन प्लान हाइलाइट्स 2022' रिपोर्ट में शहरों और जिलों को सुभेद्य लोगों की सुरक्षा के प्रयासों में तेजी लाने के लिए कहा गया है।
  - यह रिपोर्ट, भारत के मौसम विज्ञान विभाग (IMD) और अन्य एजेंसियों के सहयोग से **नेचुरल रिसोर्सेज डिफेन्स काउंसिल** ने तैयार की है।
- **रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष**
  - गर्म मौसम भारत और विश्व के अन्य हिस्सों में **सुभेद्य समुदायों के लिए एक प्रमुख स्वास्थ्य खतरा** है।
  - हीट स्ट्रेस, जैसे कि शारीरिक बीमारियां और उच्च तापमान एवं अक्सर आर्द्रता के संपर्क में आने के कारण जो लक्षण पैदा होते हैं, उनसे विश्व भर में 6.8 करोड़ लोग प्रभावित होते हैं।
  - भारत में, **पश्चिम–मध्य** और **उत्तर–पश्चिम** भारत के कुछ हिस्सों में हीट वेव की **अधिक आशंका** बनी रहती है।
  - हीट एक्शन प्लान (HAPs) समुदायों की रक्षा करने और चरम गर्मी से लोगों की जान बचाने के लिए आवश्यक है।
    - **वर्ष 2013 में अहमदाबाद,** हीट एक्शन प्लान बनाने वाला **भारत और दक्षिण एशिया का पहला शहर** बना था।
  - भारत का मौसम विज्ञान विभाग और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) वर्ष 2019 में पहचाने गए **23 हीट वेव प्रवण (prone) राज्यों** के साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं। इसका उद्देश्य हीट एक्शन प्लान विकसित करना है।
    - हीट अलर्ट जारी करने के लिए कलर कोड सिग्नल विकसित किए गए हैं। इसी अनुरूप कार्रवाई की जानी होती है। कलर कोड सिग्नल एवं संबंधित कार्रवाई इस प्रकार हैं:
      - **ग्रीन अलर्टः** कोई कार्रवाई नहीं,
      - **येलो अलर्टः** अपडेटेड जानकारी प्रदान करना,
      - **ऑरेंज अलर्टः** कार्रवाई के लिए तैयार रहना, तथा
      - **रेड अलर्टः** कार्रवाई करना।

**हीट एक्शन प्लान (HAP) के प्रमुख तत्व निम्नलिखित हैं:**

- जन जागरूकता के निर्माण के लिए **सामुदायिक आउटरीच कार्यक्रम आयोजित करना।**
- निवासियों को सचेत करने और अलग–अलग एजेंसियों के बीच समन्वय के लिए **पूर्व चेतावनी प्रणाली।**
- स्वास्थ्य पेशेवरों के बीच **क्षमता निर्माण।**
- किसानों, निर्माण श्रमिकों और यातायात पुलिस जैसे **सुभेद्य समूहों को केंद्र में रखना।**
- **अनुकूलन उपायों को लागू करना।**

# उच्चतम न्यायालय ने मृत्युदंड का सामना कर रहे दोषियों की समग्र जानकारी प्रस्तुत करने की आवश्यकता पर बल दिया

- न्यायालय ने रेखांकित किया है कि मृत्युदंड को केवल "दुर्लभ में भी दुर्लभतम (रियरेस्ट ऑफ रेयर)' मामलों में ही उचित सजा के रूप में देखा जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, इन मामलों में भी **न्यायालयों को उस व्यक्ति के बारे में अच्छी तरह से सूचित किया जाना चाहिए, जिसे मृत्युदंड दिए जाने पर विचार किया जा रहा हो।**
  - वर्तमान में, सजा की सुनवाई में केवल मूल विवरण शामिल होते हैं, जैसे कि दोषी की **अपनी पारिवारिक संरचना, शैक्षणिक योग्यता और गिरफ्तारी से पहले उसके कार्य की स्थिति।**
  - उस व्यक्ति के **मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन** को प्रस्तुत करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया जाता है। उल्लेखनीय है कि निम्नलिखित के कारण मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन आवश्यक माना जाता है:
    - बचपन की प्रतिकूल स्थितियों के अनुभव,
    - विगत कई पीढ़ियों से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं का इतिहास,
    - दुःखदायी घटनाओं का सामना करना, तथा
    - पारिवारिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक।
- **शमन अन्वेषक (सजा कम करवाने वाले जांच अधिकारी)** ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए व्यापक विश्लेषण के माध्यम से इसमें मदद कर सकते हैं।
  - **शमन अन्वेषक समाज कार्य, समाजशास्त्र, मानव विज्ञान, अपराध विज्ञान, मनोविज्ञान और अन्य सामाजिक विज्ञान में योग्य पेशेवर** होते हैं। वे **शमन की जा सकने वाली परिस्थितियों का पता लगाकर** न्यायालयों को दंड निर्धारित करने में मदद कर सकते हैं।
  - वे अपनी रिपोर्ट के माध्यम से मुकदमे के दौरान मृत्युदंड की सजा प्राप्त **कैदी के जीवन के अनुभवों पर एक संक्षिप्त विवरण** प्रस्तुत कर सकते हैं।
    - नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के **प्रोजेक्ट 39A ने एक शमन अन्वेषक** का प्रावधान किया है।

- **भारत में मृत्युदंड से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय/प्रावधान**
  - **बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य, 1980:** इस वाद में उच्चतम न्यायालय ने **दुर्लभ से भी दुर्लभतम (Rarest of Rare)** मामले का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। इस सिद्धांत के अनुसार दुर्लभतम मामलों को छोड़कर अन्य मामलों में मृत्युदंड नहीं दिया जाना चाहिए। मृत्युदंड केवल तब दिया जाना चाहिए, जब कोई वैकल्पिक उपाय शेष न रहा हो।
  - **केहर सिंह बनाम भारत संघ, 1989:** कार्यपालिका की क्षमादान शक्ति न्यायिक समीक्षा के अधीन है।
  - **भगवान दास बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, 2011:** ऑनर किलिंग के मामलों में मृत्युदंड पर विचार किया जा सकता है।
  - **शत्रुघ्न चौहान बनाम भारत संघ, 2014:** इस मामले में फांसी की सजा के क्रियान्वयन में हो रही देरी पर विचार किया गया था।
  - **विधि आयोग** (262वीं रिपोर्ट) की सिफारिश के अनुसार **आतंकवाद और युद्ध छेड़ने से संबंधित अपराधों के अलावा अन्य सभी अपराधों के लिए मृत्युदंड को समाप्त कर दिया जाना चाहिए।**

# बंगाल तट सबसे अधिक अपरदन (erosion) का सामना कर रहा है

- पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (MoES) ने लोकसभा को सूचित किया था कि भारत की मुख्यभूमि की कुल 6,907.18 किलोमीटर लंबी तटरेखा का लगभग 34% हिस्सा अलग–अलग स्तरों के अपरदन का सामना कर रहा है।
  - तटरेखा को **समुद्री तट या किनारे के जल की निर्दिष्ट सतह से मिलन बिंदु के रूप में परिभाषित** किया जाता है। उदाहरण के लिए, उच्च–जल वाली तटरेखा समुद्र किनारे या समुद्र तट के साथ औसत उच्च जल की सतह से मिलन बिंदु होगी।
- **अपरदन के निम्नलिखित कारण हैं:**
  - **प्राकृतिक घटना के कारण अपरदन–** इसमें महासागरीय परिघटना का हाइड्रोडायनेमिक (जलगतिकीय) प्रभाव शामिल है। जैसे की लहरें, ज्वार, समुद्री धाराएं, तलछट की कमी आदि। इन कारणों से तलछट का यहां–वहां जमाव होता है और तटों के आकार में परिवर्तन होता है।
  - **मानवीय हस्तक्षेप के कारण अपरदन–** तटीय क्षेत्रों में कारखानों, घरों आदि जैसे अनियोजित निर्माण और पर्यटन के माध्यम से वाणिज्यिक उद्देश्यों से तटीय क्षेत्रों का अतिक्रमण किया जाता है।
- **अपरदन रोकने के लिए किये गए उपाय**
  - राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र (INCOIS) ने **तटीय सुभेद्यता सूचकांक (Coastal Vulnerability Index)** का एक एटलस तैयार कर इसे प्रकाशित किया है।
  - **"भारतीय तट से सटी तटरेखा में परिवर्तन का राष्ट्रीय आकलन** रिपोर्ट वर्ष 2018 में जारी की गई थी। यह तटरेखा संरक्षण उपायों के मूल्यांकन और कार्यान्वयन पर लक्षित थी।
  - **15वें वित्त आयोग ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कोष** के तहत **अपरदन को रोकने के लिए उपशमन उपायों** हेतु विशेष सिफारिशें की थीं।

- प्रतिशत के आधार पर **पश्चिम बंगाल** को वर्ष 1990 से 2018 की अवधि में अपने लगभग 60.5% समुद्री तट के अपरदन का सामना करना पड़ा है। इसके बाद **केरल, तमिलनाडु और गुजरात** का स्थान है।

# अन्य सुर्खियाँ

## क्षेत्रीय परिषद

- पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक 26 अप्रैल को कोलकाता में आयोजित की जाएगी। इसमें बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और झारखंड आदि राज्य शामिल हैं।
- भारत के प्रथम प्रधान मंत्री ने क्षेत्रीय परिषद का विचार प्रस्तुत किया था। इसका उद्देश्य राज्यों के बीच **"सहयोग की भावना से कार्य करने की आदत विकसित करना" था।**
- राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के भाग–III के तहत पांच क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया गया है।
  - **अध्यक्ष** – केंद्रीय गृह मंत्री।
  - **सदस्य**– मुख्यमंत्री और प्रत्येक राज्य के राज्यपाल द्वारा मनोनीत दो अन्य मंत्री। साथ ही, क्षेत्र में शामिल केंद्र शासित प्रदेशों से दो सदस्य।

इंडिया एक्ज़िम बैंक India Exim Bank

## निर्यात आयात (एक्ज़िम) बैंक

- एक्ज़िम बैंक **वर्ष 2022–23 (वित्त वर्ष 23)** में विदेशी बॉन्ड के माध्यम से लगभग **3 बिलियन डॉलर जुटाने की योजना बना रहा है।** उसका लक्ष्य नए ऋण प्रदान करने और पुराने ऋण के एक हिस्से का पुनर्वित्त करने के कार्य को समर्थन देना है।
- **एक्ज़िम बैंक के बारे में**
  - इसे **भारतीय निर्यात–आयात बैंक अधिनियम, 1981** के तहत भारत सरकार ने स्थापित किया है।
  - यह विदेशी वित्तीय संस्थानों, क्षेत्रीय विकास बैंकों, संप्रभु सरकारों और विदेशों में अन्य संस्थाओं को **लाइन ऑफ क्रेडिट (LOCs)** प्रदान करता है।
  - बैंक का उद्देश्य उन देशों में क्रेताओं को विकासात्मक एवं अवसंरचना परियोजनाओं, वस्तुओं और सेवाओं को भारत से आस्थगित (भावी निर्धारित अवधि से भुगतान योग्य) ऋण शर्तों पर आयात करने में सक्षम बनाना है।

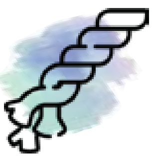

## जूट

- केंद्र ने **जूट बेलर के लिए कच्चे जूट की अधिकतम स्टॉक सीमा 500 क्विंटल** (750 क्विंटल से घटाकर) और **व्यापारियों के लिए 50 क्विंटल** (150 क्विंटल से घटाकर) कम कर दी है।
  - यह कदम बाजार में कच्चे जूट की जमाखोरी को प्रतिबंधित करेगा। साथ ही, जूट मिलों को उचित मूल्य पर इसकी **आपूर्ति को आसान बनाएगा।**
- जूट को **गोल्डन फाइबर** के रूप में भी जाना जाता है। यह एक नरम, लचीला और मजबूत रेशा है। इसे कोरकोरस ओलिटोरियस (सफेद जूट) और कोरकोरस कैप्सुलरिस (टोसा जूट) नामक पौधों से प्राप्त किया जाता है।
  - यह भारतीय उपमहाद्वीप का स्थानिक पादप है।
- भारत जूट का **सबसे बड़ा उत्पादक** है। यह कच्चे जूट में 50% और जूट से निर्मित सामान में 40% का योगदान देता है।

## राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA)

- **पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री ने** अरुणाचल प्रदेश में NTCA की 20वीं बैठक की अध्यक्षता की।
- **NTCA ने तीन रिपोर्ट जारी की:**
  - **टाइगर रीइंट्रोडक्शन एंड सप्लीमेंटेशन इन वाइल्ड प्रोटोकॉल;**
  - टाइगर रिज़र्व के लिए फॉरेस्ट फायर ऑडिट प्रोटोकॉल तथा
  - टाइगर रिज़र्व का **टेक्निकल मेनुअल ऑन मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन (MEE)।**
    - टाइगर रिज़र्व में MEE अभ्यास वर्ष 2006 में शुरू किया गया था। अब तक इसके चार चरण पूरे हो चुके हैं।
- **NTCA एक वैधानिक निकाय है।** यह **वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972** के तहत प्रदान की गई एक व्यापक पर्यवेक्षी/समन्वय की भूमिका का निर्वहन करता है।
  - यह राज्य सरकारों द्वारा तैयार **बाघ संरक्षण योजनाओं** को मंजूरी भी प्रदान करता है।

## पिनाका मिसाइल प्रणाली

- रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) और भारतीय सेना ने **पिनाका एमके– I (एनहेंस्ड) रॉकेट सिस्टम (EPRS) तथा पिनाका एरिया डिनायल म्यूनिशन (ADM) रॉकेट सिस्टम की उड़ान का पोखरण रेंज में सफलतापूर्वक परीक्षण किया है।**
  - EPRS पिनाका का उन्नत संस्करण है। यह मिसाइल को 45 कि.मी. की मौजूदा रेंज से अधिक (लगभग 70 किमी) की रेंज प्रदान करता है। यह मिसाइल पिछले एक दशक से भारतीय सेना के पास है।
- पिनाका एक **मल्टी–बैरल रॉकेट–लॉन्चर (MBRL) प्रणाली है।** यह 44 सेकंड की अवधि में **12 रॉकेट दाग सकती है।**

## प्रधान मंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही (पीएम–दक्ष/ PM-DAKSH)

- सरकार ने घोषणा की है कि इस योजना के तहत **आगामी पांच वर्षों में लगभग दो लाख 71 हजार लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा।**
- **पीएम–दक्ष योजना सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय** की एक **कौशल विकास से जुड़ी योजना है।**
- **इसे वर्ष 2020–21 से शुरू किया गया था।** इसका उद्देश्य कौशल उन्नयन/ पुनः कौशल प्रदान करना, अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम (स्व–रोजगार पर ध्यान), दीर्घकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम और उद्यमिता विकास कार्यक्रम के माध्यम से **अनुसूचित जाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग, सफाई कर्मचारी आदि वर्गों को निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान करना है।**
- योजना का कार्यान्वयन तीन **निगमों के माध्यम से होता है:**
  - राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम,
  - राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम तथा
  - राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम।

| | |
|---|---|
| **विश्व होम्योपैथी दिवस** | ❍ इसे **प्रत्येक वर्ष 10 अप्रैल को मनाया जाता है।** यह होम्योपैथी के जनक, **जर्मन चिकित्सक डॉ क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनिमैन के जन्मदिवस के अवसर** पर मनाया जाता है।<br>❍ होम्योपैथी **दो अपरंपरागत सिद्धांतों पर आधारित है–**<br>➢ **"लाइक क्योर्स लाइक"**– यह धारणा कि स्वस्थ लोगों में समान लक्षण पैदा करने वाले पदार्थ से बीमारी ठीक हो सकती है।<br>➢ **"न्यूनतम खुराक का नियम"**– यह धारणा कि दवा की खुराक जितनी कम होगी, उसकी प्रभावशीलता उतनी ही अधिक होगी।<br>❍ **भारत सरकार द्वारा होम्योपैथी को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदम**<br>➢ आयुष मंत्रालय का निर्माण,<br>➢ राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग की स्थापना (2021) आदि। |
| **संगीत नाटक अकादमी, ललित कला अकादमी पुरस्कार** | ❍ उपराष्ट्रपति वर्ष 2018 के लिए संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और संगीत नाटक पुरस्कार प्रदान करेंगे। ललित कला अकादमी की फेलोशिप और वर्ष 2021 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 19 अप्रैल को प्रदान किए जाएंगे।<br>❍ **संगीत नाटक अकादमी**<br>➢ संगीत नाटक अकादमी देश में **निष्पादन कला** के क्षेत्र में सर्वोच्च संस्था के रूप में कार्यरत है। अकादमी को **वर्ष 1953** में स्थापित किया गया था। यह संगीत, नृत्य और नाटक के रूपों में व्यक्त भारत की विविध संस्कृति की समृद्ध अमूर्त विरासत के संरक्षण एवं संवर्धन पर लक्षित है।<br>➢ संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार **राष्ट्रीय सम्मान** हैं। इन्हें निष्पादन कला के क्षेत्र में प्रदर्शन करने वाले कलाकारों, शिक्षकों और विद्वानों को सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है।<br>❍ **ललित कला अकादमी**<br>➢ इसकी स्थापना नई दिल्ली में **वर्ष 1954** में की गई थी।<br>➢ ललित कला अकादमी प्राचीन, आधुनिक और समकालीन भारतीय कलाओं के विभिन्न जटिल, मार्मिक एवं बहुस्तरीय रूपों को बड़े पैमाने पर स्थापित, संरक्षित व उनका दस्तावेजीकरण करती है। इस प्रकार उनके संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता प्रकट करती है। |

VISIONIAS

8468022022, 9019066066
www.visionias.in
/c/VisionIASdelhi /Vision_IAS /visionias_upsc /VisionIAS_UPSC

दिल्ली लखनऊ जयपुर हैदराबाद पुणे अहमदाबाद चड़ीगढ गुवाहटी